कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी (छ0ग0)

ज्ञापन क्र..........293.......... धमतरी,दिनांक: 29 /01/2019

प्रति,

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल धमतरी

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Keregaon- Gattasilli - Birgudi Road, area - 25.147 ha. regarding.** **आनलाईन पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/24377/2017 Date 15.03.2017**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 अटलनगर रायपुर का पत्र पृ.क्रमांक / भू–प्रबंध/विविध/666/4285 दिनांक 26.12.2018

⊗⊗⊗

विषयांतर्गत निवेदन है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंर्तगत केरेगांव–गट्टासिल्ली–बिरगुड़ी मार्ग चौड़ीकरण, रकबा 25.147 हे0 के प्रस्ताव में 04 बिन्दुओं की कमियां निकाली गई है। कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

क.	कमियां	विवरण
01.	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर का अनुशंसा ऑन लाईन वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से संबंधित है।
02.	नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण में आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग धमतरी, जिला धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 25.147 हे0 वनभूमि केरेगांव – गट्टासिल्ली–बिरगुड़ी मार्ग निर्माण के प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार 8–9 माह से निर्माण कार्य चल रहा है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।	वनमंडलाधिकारी के द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 10.07.2018 को किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मार्ग की पूर्वत चौडाई (10 मीटर) में ही 5–6 माह से कार्य किया जा रहा था तथा किसी वृक्ष की कटाई नहीं की गई थी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने वाले कोई कार्य निरीक्षण दिनांक को नही पाये गये थे। वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण के लगभग ढाई माह पश्चात मुख्य वन संरक्षक के निरीक्षण दौरान 20.09.2018 को मौके पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के दायरे में आने वाले कुछ कार्य किया जाना पाया गया । जिसे मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर द्वारा बंद करने के मौखिक निर्देश दिये गये। जिसके उपरांत कार्य बंद किया गया एवं वर्तमान में भी कार्य बंद है। मार्ग की पूर्व चौडाई से अधिक चौडाई में दो जगहों पर रिटेनिंगवॉल का निर्माण किया गया। जिसके लिए परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व पी. ओ. आर. **01.** नम्बर 1471/02 दिनांक 02.10.2018 एवं **02.** नम्बर 1465/07 दिनांक 02.10.2018 जारी किया गया।

क्रमशः 02

		ठेकेदार मे.एन.सी नाहर 'अ' श्रेणी ठेकेदार जे.के विला 01 मालवीयनगर दुर्ग (छ0ग0) को मार्ग के पूर्व के चौडाई में ही कार्य करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु ठेकेदार द्वारा बरसात में घाट वाले भाग में कुछ पत्थरों को हटाकर परिवर्तित मार्ग का निर्माण किया एवं रोड धसने के जान–माल की सुरक्षा हेतु दो जगहो पर रिटेनिंगवॉल बनाया जाना प्रारंभ किया गया था। उक्त कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की मंशा से नहीं किया गया है।
03.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के पत्र क्र/FNo. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उक्त उल्लंघन किस श्रेणी में आता है, परीक्षण किया जाकर स्पष्ट प्रतिवेदन दें।	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के पत्र क्र/FNo. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार परीक्षण उपरांत आपके द्वारा उक्त प्रकरण बिन्दु क्रमांक 3 (B) का (iii) श्रेणी के तहत् पाया गया।
04.	उक्त श्रेणी के अंतर्गत भारत शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं उल्लंघन हेतु की जाने वाली कार्यवाही का बिनदुवार विस्तृत जानकारी एवं तदनुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। जारी वन अपराध प्रकरणों में की गई कार्यवाही का भी विवरण प्रेषित किया जावे	उक्त श्रेणी के अंतर्गत भारत शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं उल्लंघन हेतु की जाने वाली कार्यवाही के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही किया गया है :– **(01).** परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव द्वारा संबंधित अधिकारी /कर्मचारी के विरूद्व भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) (क), (छ) (ज) एवं वन संरक्षण की धारा 2 (2), 3 (क), 3(ख) तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक **01.** नम्बर 1471/02 दिनांक 02.10.2018 एवं **02.** नम्बर 1465/07 दिनांक 02.10.2018 जारी किया गया। जप्तीनामा एवं पंचनामा भी तैयार किया गया है। **(02).** पी.ओ.आर.प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही के तहत संबंधित दोषी अधिकारी /कर्मचारी का ब्यान दर्ज किया गया। **(03).** संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। **(04).** उप वनमंडलाधिकारी धमतरी एवं परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव द्वारा वन अपराध प्रकरण की संपूर्ण जांच किया गया एवं स्थल निरीक्षण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के विरूद्व किये गये कार्य का आकलन करते हुये परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव द्वारा अपने पत्र क्र/110 दिनांक 28.01.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि उप वनमंडलाधिकारी धमतरी के निर्देशानुसार मावजा राशि का निर्धारण करते हुये निम्नानुसार राशि की वसूली किया गया है:–

क्रमशः 03

क्र	पी.ओ.आर.क्र/दिनांक	वसूल की गई मावजा राशि	मनीरसीद क्र/दिनांक
01	1471/02 दि. 02.10.2018	46,160/—	13719/66 दि. 28.01.2019
02	1465/07 दि. 02.10.2018	44,580/—	13719/65 दि. 28.01.2019

वन अपराध प्रकरण में संपूर्ण जांच पश्चात प्रकरण उप वनमंडलाधिकारी धमतरी को अभिसंधान हेतु प्रस्तुत किया गया।

(05). उप वनमंडलाधिकारी धमतरी द्वारा वन अपराध प्रकरण क्र. 1471/02 दिनांक 02.10.2018 को अपने आदेश क्र. /01/वन अपराध दिनांक 29.01.2019 के द्वारा अभिसंधानित किया गया है। इसी प्रकार वन अपराध प्रकरण क्र 1465/07 दिनांक 02.10.2018 को अपने आदेश क्र/02/वन अपराध दिनांक 29.01.2019 के माध्यम से अभिसंधानित किया गया है।

उक्त निर्धारित मावजा राशि जमा करा दी गयी है। अतः उक्त प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग–धमतरी (छ0ग0)
29/01/2019